बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान सदर प्रखंड (विभागीय अधिसूचना संख्या– 3094 दिनांक– 29.06.2018 द्वारा डिहरी रोहतास मे नव पदस्थापित) के विरूद्ध सरकारी कार्य एवं कर्त्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, लाभुकों का भौतिक सत्यापन नहीं करना, ई0बी0 कोड एवं आवंटन सम्बद्धतता मनमाने ढंग से करना संबंधित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–302 दिनांक– 16.05.2018 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया है । श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त गम्भीर आरोपों के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के नियम 9(1)(क) के अन्तर्गत तुरन्त के प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

2. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उपनिदेशक खाद्य का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ रहेगा ।

3. निलम्बन अवधि में श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान सदर प्रखंड (विभागीय अधिसूचना संख्या– 3094 दिनांक– 29.06.2018 द्वारा डिहरी रोहतास मे नव पदस्थापित) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2005 के प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

ह0/–
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08गो0आ0(सिवान)–22/2018 3259 /खाद्य,पटना/दिनांक 10.07.18

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, सिवान/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/अपर सचिव, वरीय प्रभारी, प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/उपनिदेशक खाद्य, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान/अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री अनिल कुमार सिन्हा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान सदर प्रखंड (विभागीय अधिसूचना संख्या– 3094 दिनांक– 29.06.2018 द्वारा डिहरी रोहतास मे नव पदस्थापित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/7/XVIII
सरकार के अपर सचिव ।